# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2021–22) परीक्षा के सन्दर्भ में प्रश्न–पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देश (परीक्षा नियमावली)

विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में अंकित उपबन्धों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2021–22) की परीक्षा के प्रश्न–पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा संचालन से सम्बन्धित व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. सभी विषयों यथा–03 मेजर विषय, 01 इलेक्टिव विषय, 01 वोकेशनल विषय एवं 01 अनिवार्य को–करीकुलर विषय से सम्बन्धित प्रत्येक प्रश्नपत्र की परीक्षा 100 अंक की संपन्न करायी जाएगी। प्रायोगिक विषयों से सम्बन्धित प्रायोगिक कार्य की परीक्षा भी 100 अंकों की होगी ।
2. शासनादेशानुसार ACADEMIC BANK OF CREDITS UP के सन्दर्भ में प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की वेबसाइट पर उपलब्ध UGC GUIDELINES ON ADOPTION OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM में उल्लिखित व्यवस्था को मानक मानते हुए समस्त विषयों में छात्र को प्राप्त होने वाले अंकों को विश्वविद्यालय द्वारा तुलनात्मक 'क्रेडिट पॉइंट / ग्रेड' में परिवर्तित किया जायेगा ।
3. 03 मेजर विषयों और 01 इलेक्टिव विषय की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन (महाविद्यालय द्वारा) एवं 75 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय द्वारा) के आधार पर संपन्न करायी जाएगी ।
4. 3 मेजर विषयों और 01 इलेक्टिव विषय के सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बंधित 25 अंकों का विभाजन निम्नवत होगा:–

क. छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति के लिए 05 अंक निर्धारित होंगे जिनका वितरण इस प्रकार किया जायेगा –

(i) छात्र को 95% 100% उपस्थिति के सापेक्ष 05 अंक,

(ii) 85%–94% उपस्थिति के सापेक्ष 04 अंक,

(iii) 80%–84% उपस्थिति के सापेक्ष 03 अंक,

(iv) 75%–79% उपस्थिति के सापेक्ष 02 अंक।

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित नियम यथावत रहेगा।

(v) छात्र को विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में यदि विशेष परिस्थिति के अंतर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता में निर्धारित छूट प्राप्त होती है तो उसे मात्र 01 अंक प्रदान किया जायेगा।

ख. छात्र को प्रदान किये जाने वाले असाइनमेंट (Assignment) एवं असाइनमेंट प्रेजेंटेशन (Assignment Presentation) के सापेक्ष 05 अंक निर्धारित होंगे। विषयगत सन्दर्भ में मूल्यांकन व्यवस्था निम्नवत होगी –

(i) प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न–पत्र की पाठ्यचर्या से सम्बन्धित किसी शीर्षक पर 500–1500 शब्दों तक का हस्तलिखित अथवा प्रिंटेड प्रारूप में एक असाइनमेंट जमा करना होगा, जिसका विषय के प्राध्यापक द्वारा 05 अंकों में मूल्यांकन किया जायेगा।

(ii) प्राध्यापक–गण यदि उचित समझें तो असाइनमेंट के सापेक्ष छात्र को PPT प्रस्तुतीकरण के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते है। ऐसी दशा में निर्धारित 05 अंकों का वितरण विवेकानुसार जमा किये गए असाइनमेंट एवं प्रस्तुतीकरण के पृथक–पृथक मूल्यांकन पर आधारित होगा।

ग. सम्बन्धित विषय में छात्र के मिड–सेमेस्टर–क्लास टेस्ट (सेशनल–टेस्ट) के सापेक्ष 15 अंक निर्धारित होंगे। विषयगत सन्दर्भ में प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिए पृथक–पृथक रूप से 15 अंकों की मिड–सेमेस्टर–टेस्ट (सेशनल टेस्ट) परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा महाविद्यालय को आन्तरिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्पन्न करानी होगी। इस टेस्ट के लिए प्रश्न–पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा

(i) प्रश्न–पत्र में कुल 05 प्रश्नों के उत्तर 01:00 घण्टे की समयावधि में देनें होंगे।

(ii) प्रथम प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उसका उत्तर 10–20 शब्दों में दे सके,

(iii) दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न के लिए 03–03 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उसका उत्तर 40–50 शब्दों में दे सकें।

(iv) पांचवें प्रश्न के लिए 04 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उसका उत्तर 70–80 शब्दों में दे सके,

घ. छात्र के मिड–सेमेस्टर–क्लास टेस्ट (सेशनल टेस्ट) के मूल्यांकन एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आन्तरिक स्तर पर निम्नवत् निर्धारित की जायेंगी–

(i) प्रत्येक विषय का मिड सेमेस्टर क्लास टेस्ट (सेशनल टेस्ट) महाविद्यालय के सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अंतर्गत सम्पन्न कराये जायेंगे।

(ii) विषयाध्यापक छात्र द्वारा अंकित उत्तरों का सापेक्षिक मूल्यांकन करेंगे अर्थात यदि छात्र ने किसी प्रश्न का आधा उत्तर सही लिखा है तो उसे उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का आधा प्रदान किया जायेगा।

(iii) सेशनल क्लास टेस्ट के लिए प्रत्येक छात्र प्रत्येक विषय के लिए पृथक–पृथक रूप से एक 20 पृष्ठ का रजिस्टर बनाएगा जिसपर वह प्रश्नों के उत्तर अंकित करेगा। प्रत्येक विषय के रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर छात्र द्वारा स्पष्ट रूप से अपना नाम , विषय/प्रश्न पत्र का शीर्षक, रोल नम्बर, महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि है तो) अंकित किया जायेगा। टेस्ट के उपरान्त यह रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन हेतु जमा करा लिया जायेगा।

(iv) मूल्यांकन के उपरान्त छात्र को उत्तर पुस्तिका/टेस्ट–रजिस्टर अपने अंकों का वितरण देखने के लिए प्रदर्शित की जाएगी तथा अवलोकन के उपरान्त उसका हस्ताक्षर भी उत्तर पुस्तिका/टेस्ट रजिस्टर पर करवाते हुए रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिया जायेगा। छात्र को आवंटित अंकों के सम्बन्ध में यदि उसकी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो विषय के अध्यापक द्वारा उसका निराकरण किया जायेगा।

(v) छात्र द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर के सेशनल क्लास टेस्ट के लिए अलग–अलग रजिस्टर का उपयोग किया जायेगा।

(vi) सेशनल क्लास टेस्ट के लिए सम्बन्धित विषय अध्यापक द्वारा निर्मित प्रश्न–पत्र को परीक्षा–कक्ष के ब्लैक–बोर्ड पर परीक्षा के प्रारम्भ में अंकित करते हुए छात्रों को सम्बंधित प्रश्न अपनी उत्तरपुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर लिखने के लिए निर्देशित किया जायेगा। इस कार्य के लिए परीक्षा अवधि के निर्धारित 01 घन्टे के क्रम में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

(vii) भाषा विषय के अतिरिक्त प्रश्न–पत्र की भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा हिन्दी–अंग्रेजी दोनों) छात्र समूह की भाषाई सुविधा के आधार पर विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(viii) विषयाध्यापक द्वारा सेशनल क्लास टेस्ट की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन लाल–इंक की कलम द्वारा महाविद्यालय परिसर में ही किया जायेगा। उत्तरपुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूल्यांकन कार्य सेशनल क्लास टेस्ट की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से संपन्न करा लिया जायेगा।

(ix) सेशनल क्लास टेस्ट की समय–सारिणी, प्रश्न–पत्र निर्माण, परीक्षा–कक्ष की व्यवस्था, टेस्ट के उपरान्त निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन कार्य, निर्धारित अवधि में अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना एवं अन्य सम्बन्धित परीक्षा कार्यों की निगरानी महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं करेंगे अथवा इस कार्य के लिए किसी सक्षम प्राध्यापक को नियुक्त करते हुए इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे।

(x) सेशनल क्लास टेस्ट की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अंक विश्वविद्यालय को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा तथा अंकपर्ण की दो प्रति तैयार की जायेगी जिसकी एक प्रति प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामित प्राध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल रूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। सम्बन्धित व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी।

5. 03 मेजर विषयों और 01 इलेक्टिव विषय के बाह्य – मूल्यांकन से सम्बंधित 75 अंकों की परीक्षा के लिए व्यवस्था निम्नानुसार होगी। –

क. यह परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले मुद्रित प्रश्न पत्र के माध्यम से संपन्न करानी होगी।

## प्रथम सेमेस्टर

ख. इस परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार का होगा–

(i) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी।

(ii) प्रत्येक विषय के प्रश्न–पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होंगें।

(iii) प्रत्येक विषय के प्रश्न–पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 01.30 घण्टे होगी।

(iv) भाषा विषयों को छोड़कर प्रश्न–पत्र द्विभाषीय अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुद्रित होगा।

(v) प्रश्न पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. पत्रक विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) परीक्षोपरान्त प्रश्नपुस्तिका (Question Booklate) छात्र अपने साथ ले जायेंगे केवल ओ.एम.आर. शीट (उत्तरपत्रक) महाविद्यालय द्वारा विधिवत सीलबन्द कर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

(i) प्रत्येक विषय के प्रश्न–पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होंगें।

(ii) प्रत्येक विषय के प्रश्न–पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 03.00 घण्टे होगी।

(iii) भाषा विषयों को छोडकर प्रश्न–पत्र द्विभाषीय अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुद्रित होगा।

(iv) प्रश्न–पत्र 03 खण्डों , क्रमशः खण्ड अ (Section A) खण्ड–ब (Section B) तथा खण्ड–स (Section C). में विभाजित होगा।

(v) खण्ड–अ (Section A) में 10 प्रश्न होंगें। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए। 02 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में अंकित करने होंगें । इस खण्ड में प्रश्न सम्बन्धित विषय की सम्पूर्ण पाठ्यचर्या से पूछे जायेंगे।

(vi) खण्ड–ब (Section B) में 08 प्रश्न मुद्रित होंगें, जिनमें से मात्र 05 प्रश्नों के उत्तर देने होंगें । प्रत्येक प्रश्नः के लिए 07 अंक निर्धारित होंगे । इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में अंकित करने होंगें।

(vii) खण्ड–स (Section C) में 04 प्रश्न मुद्रित होंगें, जिनमें से मात्र 02 प्रश्नों के उत्तर देने होंगें । प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में अंकित करने होंगें।

(viii) परीक्षा से सम्बन्धित सादी उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा पूर्व उपलब्ध करायी जायेंगी।

ग. परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए शासनादेश/विश्वविद्यालय नियमावली के अनुक्रम में निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

घ. परीक्षा से सम्बन्धित मूल्यांकन कार्य 'केंद्रीकृत मूल्यांकन व्यवस्था' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न कराया जायेगा।

6. प्रायोगिक परीक्षा मात्र मेजर विषय से सम्बन्धित प्रायोगिक विषयों (Practical Subjects) में संपन्न करायी जायेगी। इलेक्टिव विषय में प्रायोगिक परीक्षा का प्राविधान नहीं होगा। सम्बन्धित मेजर विषय में प्रायोगिक परीक्षा से सम्बन्धित व्यवस्था निम्नानुसार होगी–

क. अनुमन्य प्रायोगिक विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के लिए 75 अंक निर्धारित होंगे।

ख. प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षक पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

ग. प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को प्रायोगिक परीक्षा के ही दिन विश्वविद्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना होगा तथा अंकपर्ण की दो प्रति तैयार की जायेगी जिसकी एक प्रति प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामित प्राध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूलरूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। सम्बन्धित व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी।

घ. प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए शासनादेश/विश्वविद्यालय नियमावली के अनुक्रम में निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी ।

7. वोकेशनल विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 होगा। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 2 वर्ष (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स(3X4=12 क्रेडिट के कुल 4 पाठ्यक्रम ) करना होगा। महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 142/सत्तर–3–2021–08(35)/2020टी सी 1 उच्च शिक्षा अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 15 जनवरी 2021 में दिए गए निर्देशानुसार उद्योग अकादमी एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कर नीति में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत उनका संचालन सुनिश्चित किया जाना है।उक्त शासनादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है।संबंधित सेमेस्टर के अंत में महाविद्यालय/स्किल पार्टनर द्वारा वोकेशनल विषय के प्रशिक्षण एवं सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा पृथक पृथक रूप से अपने स्तर से संपन्न कराई जाएगी।

वोकेशनल विषय से संबंधित समझौता–ज्ञापन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1969/सत्तर–3–2021 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त 2021 में दी गई व्यवस्था अनुसार होगी। उक्त शासनादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है। वोकेशनल विषय की परीक्षा व्यवस्था निम्नानुसार होगी–

### 1. समय सारणी

प्रशिक्षण/इन्टरनशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं ।

### 2. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा ।

## 3. परीक्षा

3.1 थ्योरी/सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इन्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

3.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

3.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तंगत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे ।

3.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा ।

3.5 इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

## 4. पाठ्यक्रम

4.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयो/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वत् परिषद् एवं कार्यपरिषद् इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

4.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू०जी०सी०/एन०एस०यू०एफ० आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ।

4.3 जिन ट्रेड में यू०जी०सी०/एन०एस०क्यू०एफ०/स्किल डवलपमेंट काउसिल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध है, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी। ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इन्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

4.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एव स्किल/ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम०ओ०यू० की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।

4.5 सामान्य/थ्योरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घण्टे की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी।

## 5. पाठ्यक्रम का प्रकार

5.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं

5.1.2 Individual nature एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

5.1.3 Progressive nature एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी . परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सके।

5.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे।

## 6. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे । विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप जिसे संलग्न किया जा रहा है पर महाविद्यालय द्वारा सूचना अंकित कर सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पद नाम पर पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के शिक्षण हेतु उद्योग अकादमी एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए प्रस्ताव जिसमें विभिन्न संस्थाओं से किया जा रहा समझौता–ज्ञापन एवं निर्धारित पाठ्यक्रम भी महाविद्यालय के लिए मान्य होगा।

8. अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 होंगे जिनका विभाजन 25 अंक आंतरिक सतत् मूल्यांकन (महाविद्यालय द्वारा) तथा 75 अंक वाह्य (विश्वविद्यालय द्वारा) होगा। परीक्षा प्रारूप निम्नवत् होगा –

क. अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु–विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी ।

ख. सम्बन्धित प्रश्न–पत्र द्विभाषीय होगा अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में मुद्रित होगा।

ग. अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के अन्त में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाली मुद्रित प्रश्न–पुस्तिका (Question Booklet) एवं ओ०एम०आर० (OMR) के माध्यम से सम्पन्न होगी।

घ. प्रश्नपत्र में 75 प्रश्न मुद्रित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प उत्तर होंगे, जिनमें से मात्र 01 उत्तर सही होगा। छात्र को सही उत्तर ओ० एम०आर० (OMR) सीट पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंकित करना होगा।

ड. प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के लिए 01 अंक प्रदान किया जायेगा, गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) का प्राविधान नहीं होगा।

च. परीक्षा के लिए निर्धारित समयावधि 01.30 घण्टे होगी ।